

परिपत्र

समस्त शिक्षक वर्ग जिन्हे विश्वविद्यालय द्वारा आवास आबंटित किए गए हैं, के सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाता है कि विश्वविद्यालय में इस समय निम्नलिखित आवास खाली हैं। अतः जो भी शिक्षक अपने वर्तमान आवास से खाली आवास में परिवर्तन के ईच्छुक हैं, वह अपना आवेदन पत्र निर्धारित सलग्न प्रपत्र पर स्थापना शाखा के माध्यम से सत्यापित करवाकर दिनांक 12.12.2023 तक सम्पदा कार्यालय में प्रस्तुत करें, उसके उपरांत आवास परिवर्तन हेतु कोई भी आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। निर्धारित प्रपत्र सम्पदा कार्यालय एवं विश्वविद्यालय की वेब-साइट पर उपलब्ध है।

श्रेणी -IV

क्रम संख्या	आवास संख्या / भवन का नाम
1	आवास संख्या - 03, 40 न० फ्लैट्स जुतोग व्यू
2	आवास संख्या 09, 40 न० फ्लैट्स जुतोग व्यू
3	आवास संख्या 10, 40 न० फ्लैट्स जुतोग व्यू
4	आवास संख्या 06, 40 न० फ्लैट्स जुतोग व्यू
5	आवास संख्या 3-A, शिवालिक Teachers House

श्रेणी-III

क्रम संख्या	आवास संख्या / भवन का नाम
1	आवास संख्या 105, BTH

नोट : यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि आवास आबंटन नियम -13 (1) के अनुसार जिन शिक्षकों को विश्वविद्यालय द्वारा आवास आबंटित किए गए हैं, वह उसी वर्ग (same category) के आवास में परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त उपरोक्त खाली आवासों को विश्वविद्यालय के अधिशाषी अभियंता (रख-रखाव/सम्पदा) द्वारा सुरक्षित तथा रहने योग्य की संस्तुति दिनांक 23.11.2023 को दी जा चुकी है तथा आवास-परिवर्तन आवास आबंटन समिति की संस्तुति उपरांत नियमानुसार आबंटित किए जाएंगे।

1
04/12/2023
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या सम

प्रतिलिपि :

1. उप-कुलसचिव (स्थापना), हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला -5 से अनुरोध है कि सभी प्राप्त आवेदन प्रपत्रों को सत्यापित करवाकर इस कार्यालय में उपरोक्त तय की गई दिनांक तक पहुंचाने की कृपा करें ताकि समिति की बैठक तय सीमा में करवाई जा सके।
2. सभी विभागाध्यक्ष, शिक्षण विभाग, हि० प्र०वि०वि०, शिमला -5
3. निदेशक, इकडोल/शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद विभाग/ ए.एस. सी./पी. ई. सी. सी. /यू. सी. बी. एस/यू. आई. आई. टी., हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला -5
4. प्रधानाचार्य, संध्याकालीन शिक्षण केंद्र, द-माल शिमला-5
5. विशेष निजि-सचिव कुलपति /उप-कुलपति /कुलसचिव, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला -5
6. अधिशाषी अभियंता (निर्माण/विद्युत /सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य), हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5
7. अधिशाषी अभियंता (रख-रखाव/सम्पदा), हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5 के पत्र संख्या शून्य प्रेषण संख्या 1361 दिनांक 23.11.2023 के संदर्भ में।
8. वेब प्रशासक, हि०प्र०वि०वि०, शिमला -5 को इस आशय के साथ प्रेषित है कि वह उपरोक्त परिपत्र तथा आवास परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र को विश्वविद्यालय की वेब साइट पर अपलोड करें।
9. पुस्तकालयाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला -5
10. रक्षक मिसल।

3
कुलसचिव

APPLICATION FOR CHANGE OF ALLOTTED RESIDENTIAL ACCOMMODATION

Note:- Fill up all the Columns properly please.

1. Name of the Applicant _____
2. Designation _____
3. Address _____
4. Basic Pay (in revised scale) _____
Grade Pay (in Pre-revised scale) _____
Date from which continuously drawing present Grade Pay in pre-revised scale _____
5. Date of first appointment in the University on regular basis _____
6. Designation at the time of first regular appointment in the University _____
7. Date of Birth _____
8. Date of Superannuation _____
9. Particulars of Existing allotted accommodation: -
(i) Type of accommodation _____
(ii) House No./ Set No. _____
(iii) Locality/Premises: _____
10. Accommodation to which change is applied for: -
(i) Type of accommodation _____
(ii) House No./Set No. _____ (only one option of house to be given).
(iii) Locality/Premise: _____
(iv) Please indicate the particular of accommodation which is likely to fall vacant:
(v) To fall vacant on _____ on vacation by _____
Designation _____
11. Whether you have been allotted accommodation on Out of Turn Basis?
Yes/No.
If yes, detail of grounds be given.
12. Whether the applicant has earlier been allowed change of accommodation before this application: Yes/No.
If yes, quote office order No. _____ Date _____
13. Grounds/Reasons for seeking change _____

**Signature of Applicant with
designation & Address.**

Dated:-

Certified that all the information mentioned by the applicant in his/her application are verified from the service records and found to be correct.

Deputy Registrar (Establishment)

GUIDELINES

1. The change is permissible only to same type of accommodation in which the allottee resides.
2. The Change is permissible only against the vacant accommodation. The applicant must indicate specifically the Set No. locality to which the change is sought.
3. The Change within the same type of accommodation is permissible only once.
4. The change of accommodation will be considered as per seniority.
5. In case the accommodation after change is not occupied within 8 days from the date of Notification, the change so allowed shall stand cancelled and no change thereafter will be admissible.
6. In case any applicant submitted second applicant for change of accommodation earlier shall stand superseded.
7. Change of residential accommodation cannot be claimed as a matter of right.
8. The terms and conditions for change will be the same as provided in the HP Govt. Allotment of Residential Accommodation (General Pool) Rules-1994 as amended from time-to-time indication instructions issued thereunder and as adopted by the University for its employees.